प्राथमिक डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
ासीन अधिकारी :– जय कौशिक (आर.ए.एस.)
ा अर्न्तगत धारा 88/53 आर.टी.ए.
रण संख्या 582/2024

नबी पुत्र गोमा जाति मुसलमान साकिन ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

–वादी–

बनाम

–गुलामनबी पुत्र गोमा जाति मुसलमान साकिन ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ
–गुलामा पत्नी गुलामहुसैन जाति मुसलमान साकिन ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ
–मकबूल पुत्र गुलामहुसैन जाति मुसलमान साकिन ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ
–स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा, सतीपुरा जरिये मैनेजर।
–पंजाब नैशनल बैंक शाखा, नगराना जरिये मैनेजर।
–तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी वकील वादी मिन जामिन मुद्दई मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र आंशिक स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री किया जाता है कि चक 20 एमकेएस खाता संख्या 25/29 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 व चक 20 एमकेएस खाता संख्या 19/16 जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 के समस्त काश्तकारों की उपस्थिति में उनको विधि सम्मत सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर उनके हक हिस्सा अनुसार राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर अच्छी–मन्दी, ख़ाला,रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समस्त सहकाश्तकारों का विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा गिरदावर व स्वयं के हस्ताक्षरित कर अपनी अनुशंषा सहित भिजवाने हेतु तहसीलदार राजस्व संगरिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्रावली विभाजन प्रस्ताव के साथ आगामी दिनांक 19.6.2025 को पेश हो। साथ ही जमाबन्दी सम्वत् सम्वत् 2068 चक नं. 20 एम.के.एस. खाता संख्या 19/16 में दर्ज नामान्तरण संख्या 497 दिनांक 20.10.2014 से कुल 0.316 है0 भूमि दूरूस्त एवं प0न0 156/243 मु0न0 49 किला न0 25 में से उत्तर–दक्षिण लम्बा पूर्वी पासा में साईज 16.5'×165'= 2722.50 वर्गफूट रास्ता स्वीकृत के संबंध में भी अपनी अनुशंषा सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निज ......X...... मुब्लिक ......X...... बाबत ......X......खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ......X......को अदा करे ।

यह प्राथमिक डिक्री आज दिनांक 26.5.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

ीन अधिकारी :– जय कौशिक (आर.ए.एस.)
ण संख्या :– 582 / 2024
पत्र अं. धारा 88 / 53 आर.टी.ए.
बी पुत्र गोमा जाति मुसलमान साकिन ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़। वादीगण

बनाम

गुलामनबी पुत्र गोमा जाति मुसलमान साकिन ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
गुलामा पत्नी गुलामहुसैन जाति मुसलमान साकिन ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
मकबूल पुत्र गुलाम हुसैन जाति मुसलमान साकिन ढालिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नगराना जरिये मैनेजर।
तहसीलदार राजस्व संगरिया।

–प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :– 16.1.2026

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई हमरे बहाजरी श्री ओमप्रकाश शर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री रविन्द्र कुमार भोबिया वकील प्रतिवादी संख्या 5 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:– चक 20 एमकेएस

1. गुलामनबी पुत्र गोमा जाति मुसलमान निवासी ढालिया:–

प.न.	मु.न.	किला नं.
156 / 243	49	6 / 0.253, 7 / 0.1265 मिन, 17 / 0.0635 मिन, 18,19,22 / 0.759, 23 / 0.063

2. नूरनबी पुत्र गोमा जाति मुलसमान निवासी ढालिया:–

प.न.	मु.न.	किला नं.
156 / 243	49	8 / 0.1265 मिन, 13,14,15,16 / 1.012, 17 / 0.1265 मिन

3. गुलामा पत्नि गुलाम हुसैन 0.443 हि. मकबूल पुत्र गुलाम हुसैन 0.570 हि. जाति मुलसमान निवासी ढालिया:–

प.न.	मु.न.	किला नं.
156 / 243	49	7 / 0.1265 मिन, 8 / .1265 मिन, 17 / 0.063 मिन, 23 / 0.190, 24,25 / 0.506

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री / भू.अ. / 2024 / 4415 दिनांक 12.11.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

नोट :– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज......X......मुब्लिक......X......बाबत......X......खर्चा मुकदमें के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक......X......को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 14.1.2026 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया